NON DISCLOSURE OF IDENTITY OF VICTIMS

Presented By -
Sanjeev Kumar
Chief Judicial Magistrate
District Uttarkashi

INTRODUCTION

- जैसा कि हम सभी जानतें है कि भारत के एक विकास शील पुरूष प्रधान समाज होने के कारण लैंगिक अपराधो जैसे दुष्कर्म , लैंगिक उत्पीडन (sexual harassment) संबधी अपराधो में पीडिता को सम्मान की दृष्टि से ना देखते हुये अछूत के रूप मे देखा जाता रहा है, जैसे वह अपराध की पीडीता ना होकर स्वयं अपराधी हो ,शायद पूर्व मे यही एक बडा कारण रहा है कि ऐसे जघन्य अपराधो के विरूद्व भी पीडितो ओर उसके सम्बन्धी आवाज नही उठा पाते रहे है एंव कई अवसरो पर तो यह भी देखा गया है कि उनके परिवार तक उन्हे स्वीकार पही करते ओर पूर्व में ऐसे मामलो मे पीडिता आत्महत्या के लिये अग्रसर होती रही है ।

- कुछ ऐसे मामले है जैसे कुछ समय पूर्व ही ऐसी खबरे आयी थी कि मुजफरनगर उ0प्र0 मे 24 वर्शीय महिला ने गैंगरेप के बाद आत्महत्या कर ली , एक 16 वर्शीय पीडिता ने छत्तीसगढ में आत्महत्या कर ली, उत्तरप्रदेष में दो पीडिताओ ने डर ओर शर्म के कारण आम के पेड से लटककर आत्महत्या कर ली, यह केवल उदाहरण है ऐसे बहुत से मामले रहे होंगे जो प्रकाश में भी नही आये होंगे।

- लैंगिक अपराधो जैसे दुश्कर्म , ट्रेफिंकिंग संबधी अपराधो में जो सबसे बडी समस्या आती रही है ,वह यह कि इन अपराधों के संबध में कार्यवाहियों में पीडित का नाम जन हित कि लिये खोला जाये या निष्पक्ष सुनवाई को सुनिष्चित करने के लिये अनाम रखा जाये ।

- यही कारण रहा कि विधायिका ने ऐसे मामलो में पीडित की पहचान को गुप्त रखने के लिये ,कदम उठाते हुये आपराधिक विधि में संषोधन किया गया व भरत के उच्चतम न्यायालय व देश के माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा वृहद दिशा निर्देष समय समय पर दिये गये ।

पीडित शब्द की परिभाशा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में 2008 के संषोधन के माध्यम से जोडी गयी है जिसके अनुसार :

2(wa) पीडित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कृत्य या लोप के कारण हानि या क्षति से पीडित हुआ हो जिसके लिये अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है ओर पद पीडित में उसका या उसकी संरक्षक या विधिक वारिस सम्मिलित है

- यह परिभाशा उस हर व्यक्ति को पीडित के रूप में परिभाषित करती है जो किसी कृत्य या लोप से पीडित हुआ हो यह एक व्यापक परिभाषा है ।

सुरक्षा के रूप में जिस पीडित की पहचान का उल्लेख किया जाना विधि के द्वारा निशिद्व किया गया है ,वह बलात्संग व लैंगिक अपराधो के षिकारपीडित है। विधि की मंषा उक्त अपराधो के संबध में दोराने अन्वेषण, जांच एंव विचारण मे न्यायालय में कार्यवाहियो के संबध में यथासम्भव पीडित की पहचान सुरक्षित रखने की है। तथा उनकी पहचान का प्रकटीकरण निषिद्व करते हुये पहचान के प्रकटीकरण को विभिन्न विधिक प्रावधानो के तहत दंडनीय बनाया गया है।

पीडित की पहचान प्रकटीकरण निशिद्व किये जाने के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान

- पीडित की पहचान को सुरक्षित रखे जाने ,न्यायालय की कार्यवाहियो ,बयान आदि के दोरान उसको असुरक्षित ओर असहज महसूस ना हो इसी को ध्यान में रखते हुये धारा 327 दण्ड प्रकिया संहिता जो विचारण हेतु न्यायालयों का जनसाधारण के प्रवेष कर सकने के लिये खुला होने के सम्बन्ध में प्रावधान करता है में ,वर्श 1983 मे संषोधन के माध्यम से बलांत्संग से संबधी अपराध का जांच या विचारण बंद कमरे में किये जाने के संबध में प्रावधान किया गया । इसी प्रकार लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो की धारा 37 में भी विचारण का बंद कमरे में संचालन का प्रावधान है ।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए में जिसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB or 376Ë के अधीन अपराध किया गया है,उन मामलो मे पीडिता की पहचान का प्रकटीकरण निषिद्व करते हुये,उल्लंघन की स्थिति में सजा का प्रावधान किया गया है ।

- इसी प्रकार लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो की धारा 24 की उपधारा 5 मे पुलिस अधिकारी के लिये बालक की पहचान को संरक्षित किये जाना आज्ञापक बनाते हुये प्रावधानित है कि पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विषेश न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेषित न किया गया हो।

किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 जो कि मुख्य रूप से विधि का उल्लघंन करने वाले बालको व देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के हितो को ध्यान में रखते हुये विषेश अधिनियम है ,की धारा 74 में एक कदम ओर आगे बढते हुये पीडित के साथ साथ विधि का उल्लघंन करने वाले बालको व देखरेख व संरक्षण की आवष्यकता वाले बालक की पहचान के प्रकटीकरण को निशिद्व किया गया है जिसके उल्लंघन को उक्त धारा की उपधारा (3) में दण्डनीय बनाते हुये सजा का प्रावधान दिया गया है ।

पीडित की पहचान के प्रकटीकरण को निशिद्व किये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा पारित विधि व्यवस्थायें

पीडित की पहचान के प्रकटीकरण को रोकने हेतु समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा अनेक सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है उदाहरण स्वरूपः

●**Dinesh @ Buddha vs State Of Rajasthan dated 28 february ,2006** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य बातो के अतिरिक्त मामले मे बलात्संग से पीडित के नाम को उजागर न करने के सम्बन्ध में अवधारित किया गया है कि.....

.....We do not propose to mention name of the victim. Section 228-A of IPC makes disclosure of identity of victim of certain offences punishable. Printing or publishing name of any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under Sections 376, 376-A, 376-B, 376-C or 376-D is alleged or found to have been committed can be punished. True it is, the restriction, does not relate to printing or publication of judgment by High Court or Supreme Court. But keeping in view the social object of preventing social victimization or ostracism of the victim of a sexual offence for which Section 228-A has been enacted, it would be appropriate that in the judgments, be it of this Court, High Court or lower Court, the name of the victim should not be indicated. We have chosen to describe her as 'victim' in the judgment. ....

●इसी प्रकार माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा **Bijoy v.State of West Bengal,2017 cr.L.J 3893** में अन्य बातो के अतिरिक्त लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम में अपराध की पीडिता की पहचान के प्रकटीकरण न करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिषा निर्देष दिये गये है।

NIPUN SAXENA &ANR.VS UNION OF INDIA on dated 11-12-2018

वर्ष 2018 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा NIPUN SAXENA &ANR.VS UNION OF INDIA on dated 11.12.2018 में इस विशय पर विस्तार से चर्चा करते हुये कि किस प्रकार बलात्संग से पीडित व लैंगिक उत्पीडन के पीडित बालको की पहचान को सुरक्षित रखा जाये कि उन्हें अनावश्यक उपहास,सामाजिक बहिष्कार या उत्पीडन का पात्र न बनना पडे निर्णय के पैरा 43 में मार्गदर्षक दिशानिर्देष जारी किये गये ।

-------43. In view of the aforesaid discussion, we issue the following directions:-

1. No person can print or publish in print, electronic, social media, etc. the name of the victim or even in a remote manner disclose any facts which can lead to the victim being identified and which should make her identity known to the public at large.

2. In cases where the victim is dead or of unsound mind the name of the victim or her identity should not be disclosed even under the authorization of the next of the kin, unless circumstances justifying the disclosure of her identity exist, which shall be decided by the competent authority, which at present is the Sessions Judge.

3. FIRs relating to offences under Sections 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB or 376E of IPC and offences under POCSO shall not be put in the public domain.
4. In case a victim files an appeal under Section 372 CrPC, it is not necessary for the victim to disclose his/her identity and the appeal shall be dealt with in the manner laid down by law.
5. The police officials should keep all the documents in which the name of the victim is disclosed, as far as possible, in a sealed cover and replace these documents by identical documents in which the name of the victim is removed in all records which may be scrutinised in the public domain.
6. All the authorities to which the name of the victim is disclosed by the investigating agency or the court are also duty bound to keep the name and identity of the victim secret and not disclose it in any manner except in the report which should only be sent in a sealed cover to the investigating agency or the court.

7. An application by the next of kin to authorise disclosure of identity of a dead victim or of a victim of unsound mind under Section 228A(2)(c) of IPC should be made only to the Sessions Judge concerned until the Government acts under Section 228A(2)(c) and lays down a criteria as per our directions for identifying such social welfare institutions or organisations.
8. In case of minor victims under POCSO, disclosure of their identity can only be permitted by the Special Court, if such disclosure is in the interest of the child.
9. All the States/Union Territories are requested to set up at least one ‘one stop centre’ in every district within one year from today.

उक्त निर्णय में दिये गये दिषार्निदेषों के अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा सभी राज्यो व केन्द्र षासित प्रदेश को उक्त दिशानिर्देषो के अक्षरशः अनुपालन हेतु दिनांक 16.01.2019 को अधिसूचना जारी की गयी ।

●माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के C.L NO.17/UHC/Admin.A/2021 Dated 29.01.2021 जो सिविल ओर आपराधिक निर्णय के प्रारूप से सम्बन्धित है ,में उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुपालन में आपराधिक मामलो के निर्णय के प्रारूप मे बलात्संग व पोक्सो अधिनियम मे पीडित के नाम को उजागर न करने का आज्ञापक निर्देष दिया गया है ।

●इसके अतिरिक्त हाल ही में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा CL NO 63/UHC/Admin.B/2022 Dated 10.03.2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Miscellaneous Application No.1852 of 2019 in Criminal Appeal No.1101 of 2019 Smruti Tukaram Badade vs State of Maharashtra&Another fnukafdr 11-01-2022 के अनुपालन में कमजोर / असुरक्षित साक्षियो के साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु दिशानिर्देष जारी किये गये जिसमे अन्य बातो के अतिरिक्त पैरा न0 27 में पीडित व साक्षियो की एकान्तता को सुरक्षित रखे जाने हेतु दिशानिर्देष दिये गये है , जिसमें उपरोक्त के बयान में वास्तविक नामो के स्थान पर काल्पनिक नाम अंकित किये जाने हेतु भी निदेर्श समाहित है ।

Measures to protect the privacy and well-being of child victims and witnesses –

(1) At the request of a child victim or witness, his or her parents or guardian, his or her lawyer, the support person, other appropriate person designated to provide assistance, or the court on its own motion,taking into account the best interests of the child, may order one or more of the following measures to protect the privacy and physical and mental well-being of the vulnerable witness child and to prevent undue distress and secondary victimization:

(a) expunging from the public record any names, addresses workplaces, professions or any other information that could be used to identify the child;

(b) forbidding the defence lawyer and persons present in court room from revealing the identity of the child or disclosing any material or information that would tend to identify the child;

(c) ordering the non-disclosure of any records that identify the child,until such time as the court may find appropriate;

(d) assigning a pseudonym or a number to a child, in which case the full name and date of birth of the child shall be revealed to the accused within reasonable period for the preparation of his or her defence;
(e) efforts to conceal the features or physical description of the child giving testimony or to prevent distress or harm to the child, including testifying:
(i) behind screen;
(ii) using image- or voice-altering devices;
(iii) through examination in another place, transmitted simultaneously to the courtroom by means of video link;
(iv) through a qualified and suitable intermediary, such as, but not limited to, an interpreter for children with hearing, sight, speech or other disabilities;
(f) holding closed sessions;

(g) if the child refuses to give testimony in the presence of the accused or if circumstances show that the child may be inhibited from speaking the truth in that person‘s presence, the court shall give orders to temporarily remove the accused from the courtroom to an adjacent room with a video link or a one way mirror visibility into the court room. In such cases, the defence lawyer shall remain in the courtroom and question the child, and the accused’s right of confrontation shall thus be guaranteed;
(h) taking any other measure that the court may deem necessary,including, where applicable, anonymity, taking into account the best interests of the child and the rights of the accused.
(2) Any information including name, parentage, age, address, etc. grevealed by the child victim or witness which enables identification of the person of the child, shall be kept in a sealed cover on the record and shall not be made available for inspection to any party or person. Certified copies thereof shall also not be issued. The reference to the child victim or witness shall be only by the pseudonym assigned in the case.

Right to be Forgotten And Right to eraser

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Xxx vs Kancherla Durga Prasad &Ors में याचिकाकर्ता की याचिका पर दिनांक 18.07.2022 को ,एक लघु परन्तु महत्वपूर्ण आदेश पारित कर याचिकाकर्ता उत्तरदाता के नाम ,पते, पहचान के सम्बन्ध में वर्णन व वाद संख्या को को सम्मिलित करते हुये इस सीमा तक हटाने के लिये रजिस्ट्री को निर्देर्षित किया कि वह सर्च इंजन में दर्षित न हो। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एकान्तता के अधिकार में ही निहित भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten) एंव मिटाने के अधिकार (Right to eraser) को महत्व प्रदान किया गया है।

CONCLUSION

- उपरोक्त सभी विधिक प्रावधानो व न्याय निर्णयो मे हमने देखा कि न्यायिक कार्यवाहियो के फलस्वरूप पीडित को किसी उपहास सामाजिक बहिष्कार या उत्पीडन का सामना न करना पडे ,व अपने विरूद्व हुये किसी ऐसे जघन्य कृत्य के लिये आवाज उठाने में उसे भय या षर्म का सामना न करना पडे इस हेतु उसके एकान्तता के अधिकार को बनाये रखने हेतु पहचान का प्रकटीकरण न करने के सम्बन्ध में बहुत सारे प्रावधान किये है ,परन्तु उक्त सिधान्तो मे समाहित भावनाओ को हृदय से आत्मसात किये जाने की जिम्मेदारी हम सब की है जिससे पीडित उसके परिवार व आम जन की भावनाओ के अनुरूप कार्य करने में हम सफल हो सके ।

THANK YOU